UPHR010087562025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–719/2025
सुनील गुप्ता आदि बनाम सरकार आदि

दिनांकः 25.03.2026

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पत्रावली स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 3 अ में प्रार्थीगण का कथन है कि मुकदमा संख्या 3455/2020, एन०सी०आर० संख्या–22/2003, अं०धारा 323, 504,506 भारतीय दंड संहिता, थाना लोनार, जिला हरदोई, राज्य बनाम सुनील गुप्ता आदि की पत्रावली न्यायालय जे०एम० प्रथम के यहां चल रही थी। उक्त वाद की पत्रावली त्रुटिवश दिनांक 11.09.2024 को ग्राम सवाजयपुर चली गयी है जबकि उक्त वाद की पत्रावली तहसील हरदोई से संबंधित है। उक्त आधार उक्त वाद की पत्रावली ग्राम न्यायालय सवायजपुर से मंगवाकर थाना लोनार से संबंधित न्यायालय हरदोई में भिजवाये जाने के संबंध में उचित आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

विपक्षी संख्या 02 मुंशीलाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये और उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के आदेश पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि "मूल पत्रावली के अंतरण के बाबत विपक्षी संख्या 02 को कोई आपत्ति नहीं है। मूल पत्रावली अंतरित करने की कृपा की जाए।"

स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र 3 अ के प्रकाश में सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से आख्या आहूत की गयी, जो पत्रावली में संलग्न हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 3 अ अवलोकन से विदित होता है कि स्थानांतरण प्रार्थना में किसी न्यायालय के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मात्र इस आधार पर कि उक्त पत्रावली थाना लोनार, जिला हरदोई से संबंधित है और त्रुटिवश ग्राम न्यायालय सवायजपुर चली गयी है। पत्रावली स्थानांतरण की प्रार्थना की गयी है। न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सवायजपुर, हरदोई की आख्या के अनुसार उक्त पत्रावली उनके न्यायालय में लंबित है। तर्क के दौरान सूचित किया गया कि वर्तमान में थाना लोनार की पत्रावलियां अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 02, हरदोई के न्यायालय में लंबित है।

अतः न्यायार्थ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 3 अ स्वीकर किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण सुनील गुप्ता आदि का प्रार्थना–पत्र 3 अ स्वीकार किया जाता है। मुकदमा संख्या 3455/2020, एन०सी०आर० संख्या– 22/2003, अं०धारा 323, 504,506 भारतीय दंड संहिता, थाना लोनार, जिला हरदोई, राज्य बनाम सुनील गुप्ता आदि से वापस लिया जाता है और उसे विधि अनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 02, हरदोई के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक 25.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.25 16:02:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court